तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज श्यामवती बनाम आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2026	वकील उभय पक्ष उपस्थित। रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र सुनवाई क्षेत्राधिकार पर वहस सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने प्रार्थना के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अदालत तहत द्वारा अपीलाधीन पटटा को गलत तथ्यों व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जारी कराया जाना मानते हुये अपीलाधीन पटटा दिनांक 17.11.2023 को धारा 73(ख) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रयुक्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निरस्त किया है। अपीलाधीन आदेश नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 (ख) के तहत पारित किया गया है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(ख) के तहत पारित आदेशों के विरूद्व सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को न होकर निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर को हासिल है। स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 बी की उपधारा (3) के तहत नगर पालिका द्वारा पारित आदेश के विरूद्व उपधारा (4) के अन्तर्गत दायर अपीलों को सुनने एवं निर्णित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पो. द्वारा स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 की प्रति पेश की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि यह सही है कि अपीलाधीन आदेश 73(ख) नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत पारित किया गया है परन्तु यह स्वीकार नहीं है कि 73(ख) के तहत पारित आदेश के विरूद्व न्यायालय श्रीमान को अपील की सुनवाई का अधिकार न हो। उक्त अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्व सुनवाई का अधिकार निदेशक स्थानीय निकाय को न होकर न्यायालय श्रीमान को है। इस संबंध में विभाग की ओर से नोटिफिकेशन दिनांक 10.06.2016 भी जारी हुआ है। नगर पालिका द्वारा पटटा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 "क" के तहत जारी किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत पारित पटटे की अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को है। प्रार्थना पत्र महज प्रकरण को लम्बित करने की नीयत से व अपीलांट को बेवजह तंग परेशान करने की गरज से पेश किया है जो हर सूरत में खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील नगर परिषद हिण्डौन सिटी के आदेश दिनांक 17.11.2023 के विरूद्व पेश की गई है जिसके द्वारा नगर परिषद हिण्डौन सिटी द्वारा आदेश पारित किया है कि श्रीमती श्यामवती द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 11.11.1991, 3183/2 कूटरचित व मिथ्या दस्तावेज से पटटा प्राप्त किया गया है। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(ख) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नगर परिषद द्वारा जारी पटटा क्रमांक LD/HNDC/2023-24/165627 दिनांक 15.09.2023 को निरस्त किया जाता है।	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

10.03.2026	हमने स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 एवं स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना दिनांक क्रमांकः प.8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/22/9748 दिनांक 9.05.2022 का अवलोकन किया। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप–धारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणो को सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है किन्तु स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73–बी की उपधारा (3) के तहत नगरपालिका द्वारा पारित आदेश के विरूद्व उपधारा (4) के अन्तर्गत दायर अपीलों को सुनने एवं निर्णित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। चूँकि इस अपील प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश से नगर परिषद द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 15.09.2023 द्वारा जारी पट्टा क्रमांक LD/HNDC/2023-24/165627 श्रीमती श्यामवती पत्नि श्री शिवचरण निवासी तिलक नगर खन्ना कोलोनी हिण्डौन के नाम जारी पट्टे के आदेश को पट्टाधारी द्वारा कूटरचित व मिथ्या दस्तावेज से पट्टा प्राप्त किये जाने के कारण निरस्त किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(बी) की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 के तहत निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुनवाई क्षेत्राधिकार स्वीकार किया जाता है। यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार न होने के कारण बिना गुणावगुण पर विचार किये इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त भरतपुर	